

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत..... बायलु..... मुकाम.....

पेलादराम बनाम देवशराम कोरा

किस्म मुकदमा 21. आ.व.न. 111, 128 नं. 96/19 सन् 2019
RLR 24

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/3/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>पेलादराम जाकर</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR 24</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/3/19</u> को पेश हो।</p>	
25/03/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली भी प्राप्त। प्रप्रार्थीगणों का पत्र तामिल अनुपस्थित। सीपान पीसामेन अचिडाती चुनाव मिटिंग में जमपुर प्यार डिए के तहत मित्राल इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रप्रार्थीगणों का पत्र तामिल अनुपस्थित। न्यायालय में समझ लीन कार कावाज स्कार्ड गई मंतिम कावाज 5.45 PM पर स्कार्ड गई प्रप्रार्थीगणों के साथ या इनकी कार के बारे में इतिवन्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिखाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट काफवाडी तामिल में पेश जाता है।</p>	

पार्थी के अधिकृतता की एडप्टीव खतरा हुनी गई, पार्थी
के अधिकृतता ने कलामा की पार्थी के अपने ध्यातव्यी
धैर्य की पन्ही नैष्कमवनी उरवाना सावशुतु होरमल्लिए
पार्थी का नैष्कमवनी आवेदन स्वीकार हीमा जाउर नैष्क-
वनी मोडिका हीमा जावे।

अतः पार्थी के अधिकृतता के निवेदन
पर पार्थी का नैष्कमवनी आवेदन स्वीकार हीमा जाउर
तटमीलगाए कामरु को उभिरानर निधुनत हीमा जागा है
व मोडिका डिमा जागा है कि समय स्वयं या अपने
अधिकृतता हीमा भी उर ममिल्लिय निरिमत के पार्थी
के ध्यातव्यी धैर्य की पन्ही नैष्कमवनी मोडिके पर
कुलु जमाउराउर करे। पालना रिपोर्ट गाल होन पर
कामिल पजावली है, पजावली फेमल कुमाए ही प्रज
नम्बर के उम ही, दाखिल दफतर ही।

10.4.2019

कमांक/वाद/2019/ 103

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रहलादराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
निवासी कोलू
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. देवाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा
निवासी कोलू
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 96/19

आदेश

मौजा कोलू पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1022/434, 1029/434 रकबा क्रं. 10.13, 32.01 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करवा कर दें हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलेक्टर (SDD) बायतु
दिनांक: 10/4/19

कमांक/वाद/2019/ 104-108

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रहलादराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री देवाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

सहायक कलेक्टर (SDD) बायतु